(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–।, खंड–। में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

विदेश व्यापार महानिदेशालय

वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं0 43/2024–2025

नई दिल्ली, दिनांक: 27th जनवरी, 2025

विषय: उद्गम ई–प्रमाणपत्र प्रणाली के कार्यान्वयन के अनुरूप प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.91 और 2.93 में संशोधन–संबंधी।

समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैराग्राफ 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार तत्काल प्रभाव से प्रक्रिया पुस्तिका 2023 के अध्याय 2 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

पैरा नं.	मौजूदा प्रावधान	संशोधित प्रावधान
2.91(घ)	निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) ऐसी एजेंसी है जो रिक्त प्रमाणपत्र के मुद्रण हेतु अधिकृत है। ईआईसी की वेबसाइट (www.eicindia.gov.in) में उद्गम प्रमाणपत्र जारी करने हेतु प्रक्रिया संबंधी ब्यौरे (शुल्क सहित) उपलब्ध हैं।	हटा दिया गया
2.93(ग)	(ग) सभी निर्यातकों जिन्हें उद्गम प्रमाणपत्र (गैर–तरजीही) प्रस्तुत करना है, को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ **परिशिष्ट–2ड.** में सूचीबद्ध एजेंसियों में से किसी एक को आवेदन करना होगा। (i) निर्यात उत्पाद में प्रयुक्त मात्रा/निविष्टियों के उद्गम/उपभोज्यों के ब्यौरे। (ii) बीजक की दो प्रतियाँ। (iii) संबंधित बीजक के लिए पैकिंग सूची दो प्रतियों में। (iv) शुल्क 200/– रु. प्रति प्रमाण पत्र हो।	2.93(ग) जिन निर्यातकों को गैर–तरजीही उद्गम प्रमाणपत्र (सीओओ) प्राप्त करना आवश्यक है, उन्हें https://trade.gov.in के माध्यम से परिशिष्ट 2ड. में सूचीबद्ध किसी भी एजेंसी को अपना आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। (i) ऑनलाइन आवेदन के साथ बीजक और पैकिंग सूची की प्रति अपलोड करना आवश्यक है। (ii) सत्यापन दस्तावेजों सहित प्रत्येक उद्गम प्रमाणपत्र के लिए 200/– का शुल्क लागू है।
2.93(घ)	एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि उद्गम प्रमाण पत्र (गैर तरजीही) मंजूर करने से पूर्व उपर्युक्त (क) में परिभाषित मानदंड के अनुसार वस्तुएँ भारतीय मूल की हैं। प्रमाणपत्र परिशिष्ट–2ड. के अनुलग्नक II में दिये गये प्रपत्र के अनुसार जारी किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रमाणपत्र में कोई शुद्धि/पुनः टंकन नहीं किया गया है। परिशिष्ट–2ड. में सूचीबद्ध होने हेतु कोई भी इच्छुक एजेन्सी परिशिष्ट–2ड. के अनुलग्नक–I के अनुसार डीजीएफटी को अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकती है।	(i) जारी करने वाली एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि ई उद्गम प्रमाणपत्र (गैर–तरजीही) प्रदान करने से पूर्व उपर्युक्त पैरा (क) में परिभाषित मानदंड के अनुसार वस्तुओं का भारतीय उद्गम प्रमाण पत्र परिशिष्ट 2ड. के अनुलग्नक–II पर विनिर्दिष्ट प्रपत्र के अनुसार जारी किया जाएगा। (ii) **मौजूदा ई. उद्गम प्रमाण पत्र में कोई भी संशोधन जारी करने वाली एजेंसी को उद्गम प्रमाण पत्र आवेदन के स्थान पर ऑनलाइन रूप में अनुरोध करके किया जा जाएगा।**

सं. सारंगी

		(iii) परिशिष्ट 2ड. के अंतर्गत सूचीबद्धता की इच्छुक कोई भी एजेंसी, परिशिष्ट–2ड. के अनुलग्नक I के अनुसार डीजीएफटी को अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकती है।
2.93(च)	-	**एजेंसिया पुनः निर्यात, ट्रांस शिपमेंट, वाणिज्यिक व्यापार उद्देश्यों हेतु भारतीय मूल की न होने वाली वस्तुओं के लिए एक के बाद एक उद्गम प्रमाणपत्र (गैर–तरजीही) जारी कर सकती हैं। ये प्रमाणपत्र विदेशी उद्गम के देश के आधार पर वस्तुओं के उद्गम की पुष्टि करने वाले दस्तावेज़ो के साक्ष्य के आधार पर जारी किए जाएंगे। जारी किए गए एक के बाद एक उद्गम प्रमाण पत्र (एनपी) पर सहायक दस्तावेज़ी साक्ष्य और मूल देश का विवरण स्पष्ट रुप से उल्लेखित होना चाहिए।**

इस सार्वजनिक सूचना के प्रभावः उद्गम के ई प्रमाणपत्र के कार्यान्वयन के समन्वय में प्रक्रिया पुस्तक में संशोधन को अधिसूचित किया गया है। उदगम प्रमाणपत्र (गैर तरजीही) के बदले में दिए जाने वाले और एक के बाद एक दिए जाने वाले उदगम प्रमाण पत्र (गैर तरजीही) के प्रावधानों को भी अधिसूचित किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी
27.1.2025

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/02/82/एएम–19/ईडीआई–पार्ट(1) से जारी)